न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर, पुरानी डाक गली के पास, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, निवासी–लोकवाडा रोड़, सोनातर गली, रोहिडा, तह0 पिण्डवाडा, जिला–सिरोही

F.S.S.Act Case No.46/2025

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव, प्रतिवादी की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 13 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 08–3–2025 को मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर, पुरानी डाक गली के पास, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम, निवासी– लोकवाडा रोड़, सोनातर गली, रोहिडा, तह0 पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) का नमूना संख्या S-2593 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट संख्याःL.S./115/Act/2025/97 दिनांक 25–3–2025 में अमानक (sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव उपस्थित हुये, जिन्होनें प्रतिवादी की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस सुनी जाने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 13–3–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें अनुरोध किया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (मेहाई ब्राण्ड) का निर्माता व पैकर नही है। प्रतिवादी ने पैकिंग अवस्था में ही उक्त घी को क्रय कर पैकिंग अवस्था में विक्रय किया है। प्रतिवादी ने कोई मिलावट नही की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने की कार्यवाही विधिवत नही की है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 08–3–2025 को समय 11–15 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हूतु मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर, पुरानी डाक गली के पास, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से सुरेश कुमार

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

घांची पुत्र श्री हीराराम उपस्थित मिले। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर, पुरानी डाक गली के पास, रोहिडा की दुकान का निरीक्षण करने पर मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) के 10 पैक टीन (प्रत्येक 15 किलोग्राम) रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम को गवाह श्री महेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल, लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तह0 पिण्डवाडा, जिला– सिरोही व श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) के 10 पैक टीन (प्रत्येक टीन 15 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) के एक पैक टीन को खुलवाकर उसमें से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 360/– (रुपये तीन सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी (ब्राण्ड मेहाई) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली बोतलों में बराबर बराबर मात्रा (200–200 ग्राम) में भरा एवं चारों नमूना बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2593, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी सुरेश कुमार घांची व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) के चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा घी (ब्राण्ड मेहाई) के चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता सुरेश कुमार घांची तथा गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम व गवाहों तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 10–3–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी को दिनांक 08–3–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

प्रतिवादी सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम, खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता, मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर, पुरानी डाक गली, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सुरेश कुमार घांची से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) के नमूना संख्या S-2593 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./115/Act/2025/97 दिनांक 25–3–2025 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) का नमूना संख्या S-2593, अमानक (sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) के खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर, पुरानी डाक गली के पास, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) (नमूना संख्या S-2593) का विक्रय करके उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 के तहत अमानक (Sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) (नमूना संख्या S-2593) के विक्रय करने हेतु प्रतिवादी सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर, पुरानी डाक गली के पास, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, स्थाई पताः लोकवाडा रोड, सोनातर गली, रोहिडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत तथा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्त अधिरोपित शास्ति की राशि का डी.डी. इस न्यायालय में जमा करवाये जाने के पश्चात्, न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित घी (ब्राण्ड मेहाई) जो आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मौके पर सीज कर एफ.बी.ओ. की अभिरक्षा में सुपर्द किया गया है उसका नियमानुसार निस्तारण करे। प्रतिवादी सुरेश कुमार घांची पुत्र श्री हीराराम, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सोमनाथ किराणा स्टोर, पुरानी डाक गली के पास, रोहिडा को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर इस न्यायालय/कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13–3–2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)